



सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बीपीसी (एलपी) की 310वीं बैठक दिनांक 09.12.2021 को जोनल विकास योजना-02 में दर्शित (एयरपोर्ट टर्मिनल-2 की 60 मीटर सड़क से पूर्व दिशा में स्थित 30 मीटर सड़क जो कि मनोहरपुरा कच्ची बस्ती से गुजरती हुई जगतपुरा रेलवे स्टेशन तक जाती है) के बीच एवं (उत्तर दिशा में स्थित जोनल विकास योजना की 24 मीटर सड़क जो कि एयरपोर्ट टर्मिनल-2 की 60 मीटर सड़क के पूर्व दिशा में जुड़ती है एवं सिद्धार्थ नगर-सी, शंकर विहार मैन, सिद्धार्थ नगर-एच की योजना से गुजरती हुई मनोहरपुरा कच्ची बस्ती को जोड़ती है) के बीच में स्थित जोनल विकास योजना-2 की सड़कों के संशोधन/विलोपन के संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जोनल विकास योजना-2 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 22, 23 व 24 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में प्राधिकरण की 64वीं बैठक दिनांक 22.05.2018 द्वारा अनुमोदित है। जोनल विकास योजना-2 पर अंकित नोट के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार अनुमोदित जोनल विकास योजना में भविष्य में कोई विषमता या विशेष स्थिति आने पर बीपीसी (ले-आउट प्लान) के स्तर पर आपत्ति-सुझाव आमंत्रित करके संशोधित किया जावे, उसके क्रम में बीपीसी (एलपी) के निर्णय की अनुपालना में जोनल विकास योजना-2 की निम्नलिखित सड़कों का संशोधन/विलोपन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. एयरपोर्ट बाउण्ड्री के उत्तरी दिशा में स्थित जोनल विकास योजना की 24.00 मीटर सड़क (3 से 4 तक) पर हुये कमिटमेंट के क्रम में उक्त सड़क को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
2. एयरपोर्ट डवलपमेंट प्लान में एयरपोर्ट के सामने 200 फीट चौड़ी सड़क के पूर्वी ओर प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क (जोन के प्रस्ताव अनुसार बिन्दु ए से जी) पूर्व कमिटमेंट के क्रम में जोनल विकास योजना में प्रस्तावित किया जाता है।
3. पूर्व में लिये गये निर्णय को कमिटमेंट मानते हुए एयरपोर्ट के उत्तरी भाग व 200 फीट सड़क के पूर्वी भाग में विद्यमान 80 फीट चौड़ी सड़क (1 से 2) को जोनल विकास योजना में प्रस्तावित किया जाता है।
4. एयरपोर्ट की बाउण्ड्री के साथ उत्तरी दिशा में जोनल विकास योजना की 30 मीटर चौड़ी सड़क को पूर्व में किये गये कमिटमेंट के आधार पर (ई से एफ) तक तथा (ई से सी) तक विलोपित करने का निर्णय लिया गया एवं जोन द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में अंकित गुलाबी रंग से प्रस्तावित (ई से सी) तक की सड़क को प्रस्तावित किया जाता है।

उक्त समस्त सड़क के संशोधन/विलोपन/अलाईनमेंट के प्रस्ताव का मानचित्र कार्यालय, जोन-4, जविप्रा, जयपुर एवं जविप्रा वेबसाइट (www.jaipurjda.org) में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/हितकारी/संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव है, तो इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त (पूर्व/एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।
6. अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी/एलपी/प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
- ✓ 7. सहायक निदेशक जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस विज्ञप्ति को दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें। *28/11/2020*
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति व मानचित्र को जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

Mb
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141-25674798 : ईमेल : jda@jda.rajasthan.gov.in : 8240 : ईमेल : dcazone01@jaipurjda.org

